

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला हनुमानगढ

प्रेस नोट:-दिनांक:-10.08.2018

गत 24 घण्टों में पंजीबद्ध अभियोगों का विवरण –

क्र० सं०	नाम थाना	अभियोग संख्या व धारा	पंजीबद्ध होने की दिनांक व समय	घटना स्थल, घटना का दिनांक व समय	नाम पता अभियोगी	नाम पता अभियुक्त	अभियुक्त का पूर्व आपराधिक विवरण	घटना का संक्षिप्त विवरण	अनुसंधान कर्ता का नाम
1.	भादरा	मु० न० 299/9.8.18 धारा 323,341,382,452,34 भादस	दिनांक 9.8.2018 के वक्त 8.37 एएम	वार्ड न० 24 भादरा	श्रीमती मन्जू पति हरिसिंह जाति खाती निवासी वार्ड न० 24 भादरा	धोलू उर्फ निहाल सिंह गांव निनाण वगेरा कुल 4 भादरा		आरोपीयो द्वारा परिवादी के साथ घर मे घुसकर मारपीट की व मोबाईल उठा लिया	श्री शीशराम सउनि
2.	2	मु० न० 300/9.8.18 धारा 279,337 भादस	दिनांक 9.8.2018 के वक्त 2 पीएम	सरहद ढाणी बेरवाल	श्री राजेश पुत्र श्री बाबूलाल जाति शर्मा निवासी ढाणी बेरवाल	अज्ञात		पीकअप न० आर जे 49 जीए 1712 का चालक द्वारा तेल गती व लापरवाही से चला कर टक्कर मार दी जिससे जिस से पूनम के चोटे लगी ।	श्री जयराम सउनि
3.	3	मु० न० 301/9.8.18 धारा 379 भादस	दिनांक 9.8.2018 के वक्त 3.44 पीएम	गांधी पार्क कस्बा भादरा	श्री बिश्मबर लाल पुत्र श्री शकर लाल जाति हरीजन उम्र 31 साल निवासी वार्ड न० 18 भादरा	अज्ञात		कोई अज्ञात चोर द्वारा परिवादी की मोटरसाईकल दिनांक 7.8.18 को गांधी पार्क भादरा से चोरी कर ले गया	श्री मोहर सिंह हैड कानि० 171
4.	सदर	मु०न० 202 धारा 16/54 आबकारी अधि०	दिनांक 09.08.18 के वक्त 8.45 एएम	दिनांक 9.8.18 समय 6.30 एएम स्थान पूल घग्घर नदी रोही बहलोलनगर	श्री हीरालाल सउनि०	रतन सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति रायसिख उम्र 37 साल निवासी वार्ड न० 6 बहलोलनगर		मुलजिम को 5 लीटर अवैध हकथड़ शराब सहित गिर० किया गया	थानाधिकारी
5.	2	मु०न० 203 धारा 447, 427, 380, 336, 307 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट आयुद्ध अधिनियम	दिनांक 9.8.18 समय 4.55 पीएम	दिनांक 26 व 27.6.18 की रात्री	जगदेव सिंह पुत्र श्री बालूराम जाति तारग उम्र 40 वर्ष निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ	1 मुखराम पुत्र श्री मोहन लाल जाति भाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ वगेरा कुल 5 व अन्य		मुलजिमानों ने मुस्तगीस की लगभग 5 किंवटल ग्वार की फसल को हल चलाकर ट्रेक्टर से नष्ट कर 15-20 हजार रूपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की है	श्री शम्भूदयाल सउनि०
6.	3	मु०न० 204 धारा 430, 447, 323, 504, 120 बी भादस	दिनांक 09.08.18 के वक्त 05.36 पीएम	दिनांक 7.7.18 समय 9.41 से 9.56 पीएम	श्री मुकेश पुत्र रामप्रताप जाति जाट उम्र 21 साल निवासी डबलीवास पैमा भाम्भवाली ढाणी	1 सुभाष पुत्र काशीराम 2 दलीप पुत्र मनीराम, 3 राकेश पुत्र साहबराम, 4 काशीराम पुत्र अमराराम अकवाम जाट सकनाये डबलीवास पैमा भाम्भवाली ढाणी		मुलजिमानों ने मुस्तगीस के साथ मारपीट की खेत का पानी गलत दिशा में मोड कर अपने खेत में लगा लिया ।	श्री रोहताश कुमार एचसी 84
7.	गोगामेडी	मु०न० 124 दिनांक 9.08.18 धारा 323, 341, 504, 34 भादस	जरीये रिपोर्ट दिनांक 9.08.2018 के वक्त 9.40 एएम पर	रोही दीपलाना दिनांक 9.08.2018 के वक्त 7.30 एएम पर	श्रीमति मुर्ति पत्नी कृष्ण कुमार जाति नाई उम्र 55 साल निवासी दीपलाना	1 राजेश पुत्र साहबराम 2 श्योरायण पुत्र बेगराज अकवाम नाई निवासीगण दीपलाना		परिवादीया ने अपने पुत्र नरदीप के साथ हाजिर थाना होकर रिपोर्ट दी कि आज दिनांक 09.08.2018 को परिवादीया व परिवादीया का पति अपने खेत मे काम के लिये गए थे तो खेत मे पहले से उपरोक्त मुलजिमान मौजूद थे जिन्होने परिवादीया व परिवादीया के पति के साथ गाली गलौच किया व परिवादीया व परिवादीया के पति के साथ चैन व लाठी से मारपीट कीह जिससे परिवादीया व परिवादीया के पति को चोटे आई	श्री इन्द्राज सिंह हैडकानि 57
8.	भिरानी	मु.नं. 173/09.08.2018 धारा 447,143 भादस पुलिस थाना	09.08.2018 के वक्त 02.	रोही शेरडा दिनांक	जरिये रिपोर्ट श्रीमति विमला पत्नि विजेन्द्र	1. आजाद 2 रमन पुत्र आजाद निवासी देवसर	-	अभियुक्तगण ने परिवादीया के खेत मे प्रवेश कर परिवादीया की बाजरे की फसल को पलट दिया	श्री राजुराम सउनि

		भिरानी	25 पीएम	08.08.18 की रात्री को	जाति जाट उम्र 40 साल निवासी शेरडा	3 राजेन्द्र उर्फ पप्पु 4 अशोक पुत्र राजेन्द्र निवासी शेरडा			
9.	टिब्बी	260/2018 धारा 323,341,354,354क व ख, 452,34 आईपीसी	9.8.18 2.00 पीएम	इस्तगासा 156(3) सीआरपीसी	परिवादिया	मदनसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपुत निवासी माणक टिब्बी वगैरा कुल 4		मुल्जिमान ने प्रार्थीया के घर में प्रवेश कर मारपीट की व प्रार्थीया को बेइज्जत करने के आशय से कपडे फाड दिये।	श्री सुखपाल सिंह एसआई
10.	2	261/2018 धारा 302,120बी भादस	9.8.18 वक्त 2.25 पीएम	इस्तगासा 156(3) सीआरपीसी मकान मुल्जिम वार्ड नं0 20 टिब्बी दिनांक 19.04.2018	श्री आसाराम पुत्र श्योलाल जाति नायक निवासी वार्ड नं0 22 टिब्बी	रवि उर्फ महावीर पुत्र सुखराम जाति नायक निवासी वार्ड नं0 20 टिब्बी वगैरा कुल 2		मुल्जिमान ने प्रार्थी की पुत्री सुशीला को जहर देकर मार दिया।	थानाधिकारी
11.	3	262/2018 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम	9.8.18 वक्त 6.50 पीएम	जरिये फर्द फट्टा पुल ग्राम सुरेवाला वक्त 4.30 पीएम	श्री सुखपाल सिंह एसआई आईसी ओपी सुरेवाला	सुखविन्द्रसिंह पुत्र श्री हंसासिंह जाति राय सिख उम्र 26 साल निवासी वार्ड नं0 13 सुरेवाला		मुल्जिम सुखविन्द्र सिंह को अवैध 2 लीटर हथकड शराब सहित गिरफतार किया गया।	श्री धर्मपाल एसआई आईसी ओपी बशीर
12.	4	263/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट	9.8.18 वक्त 9.04 पीएम	सडक आम बीएसएनएल कार्यालय के आगे कस्बा टिब्बी वक्त 8.20 पीएम	सुभाष चन्द कच्छावा पु0नि0 थानाधिकारी पुलिस थाना टिब्बी	मांगीलाल पुत्र कानाराम जाति मेघवाल उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं0 12 टिब्बी		मुल्जिम मांगीलाल को कुल 110 पॉरवोरिन-स्पॉस कैप्सूल सहित गिरफतार किया गया।	श्री रघुवीर सिंह बीका थानाधिकारी पुलिस थाना तलवाडा
13.	तलवाडा	मुकदमा नं. 106/18 जुर्म धारा 457, 354क, 365/511 भादस, 9एम/10 पोक्सो एक्ट	दिनांक 09.08.2018 समय 10.40 ए एम	चक 1 टी एल डब्ल्यु (ए) रोही तलवाडा झील दिनांक 09.08.18 समय:- 1.00 ए एम	श्री लालसिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति रायसिख उम्र 32 साल निवासी ढाणी खेत खुद चक 1 टी एल डब्ल्यु (ए) रोही तलवाडा	अमनदीप सिंह पुत्र तखविन्द्र सिंह जाति जटसिख उम्र 31 साल निवासी तलवाडा खुर्द पी एस ऐलनाबाद		मुल्जिम रात्रि के समय मुस्तगीस के घर में बुरी नियत से घुसकर मुस्तगीस की पुत्री के मुंह पर हाथ रखकर छेड़छाड़ करने लगा व उठाकर ले जाने की कोशिश की।	रघुवीर सिंह उनि थानाधिकारी
14.	संगरिया	419/2018 धारा 452, 323, 362, 506 भादस	09.08.2018 वक्त 5.48 पीएम	दिनांक 24-5-18 को दोपहर मे करीब 01.00 बजे मकान मुस्तगीसा के माता-पिता मौजा शाहपीनी	परिवादिया	देवीलाल पुत्र लुणाराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर	-	मुल्जिम प्राथिया का पति है जो आपसी अनबन के कारण अलग रहते है। मुल्जिम प्राथिया के माता पिता के घरमौजा शाहपीनी आया व प्राथिया के साथ मारपीट कर चोटें पहुचायी। जबरदस्ती उठाकर ले जाने की धमकी दी	श्री रायसिंह उनि
15.	2	420/2018 धारा 498ए, 406, 323, 34 भादस	09.08.2018 वक्त 6.00 पीएम	दिनांक 15-5-2017 को शादी के बाद से लगातार मौजा किकरवाली	जुबैदा बीबी पत्नी अलादीन पुत्र रहमत अली आयु 20 वर्ष जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली	1 अलादीन पुत्र राजाबली आयु 22 साल जाति मुसलमान 2 राजाबली पुत्र साबरअली आयु 50 साल निवासी कीकरवाली 3,कलीमा बीबी पत्नी राजाबली आयु 48 साल तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ		मुल्जिमान ने प्रार्थीया के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की व बसाने से इंकार हो गये एवं स्त्री धन हडप लिया वगैरा	श्री मांगूराम उनि
16.	हनु0 टाउन	501/आरपीजीओ 13 धारा 18	9.08. 2018 10 समय. 45 .एम.पी	टिब्बी रोड पट्रोल पम्प के पास कस्बा हनु टाउन दिनांक . 9.8.10 समय 18. पी.एम.	श्रीमति संध्या उनि	लियाकत अली पुत्र झेलू खां जाति मुस साल निवासी वार्ड 50 उम्र . -नम्बर30 कस्बा हनुटाउन .		मुल्जिम को सट्टे की खाईवाली करते हुये सट्टा रकम 1150/- सहित गिरफतार किया गया।	श्रीमति संध्या उनि
17.	नोहर	393/18 धारा 498ए, 354, 323, 34 भादस	09.08.2018 12.20 पीएम	जरीये रिपोर्ट दुरजाना	श्रीमति सुमन पत्नी रामसिंह जाट नि0 दुरजाना	रामसिंह वगैरा कुल 4		मुल्जि0 ने दहेज के लिए तंग परेशान किया व जेठ ने लज्जा भंग की मारपीट की वगैरा	थानाधिकारी
18.	2	मुकदमा नं. 394/2018 धारा 379,430 भादस	दिनांक 0908. 2018 के	मोघा 14 केएनएन रोही	श्री दीपक पंवार हाल अभि. जल संसाधन उप	शेरसिंह पुत्र मदनलाल, मातराम पुत्र रामेश्वरलाल अकवाम		मुल्जिमान ने चक 14 केएनएन एक के नहर के नीचे से बने खाले मे पाईप लगाकर पानी चोरी किया	श्री लाल बहादुर सउनि

			वक्त 5.26 पीएम	रतनपुरा	तृतीय नोहर	जाट सकनाये रतनपुरा			
19.	3	मुकदमा न 395/2018 धारा 498ए, 406, 323, 377, 376, 506,143 भादसं	दिनांक 09.08.18 वक्त 6.15 पीएम	मोजा फेफाना	परिवादिया	विनोद पुत्र महेन्द्रसिंह जाट छोटुराम पुत्र महेन्द्रसिंह वगैरा कुल 6 निवासीगण रामपुरा बगडिया नथुसराय चोपटा जिला सिरसा हरियाणा		आरोपगीगण ने प्रार्थीया को दहेज के लिये प्रताडित किया व प्रार्थीया के पति व जेट ने बलात्कार किया वगैरा	थानाधिकारी
20.	महिला हनुमानगढ	मुकदमा नं0 152/18 धारा 498ए, 406, 323, 376, 377, 120बी आईपीसी, 67 आईटी एक्ट	09.08.2018 वक्त 06.41 पी.एम	सितम्बर 2017 सुबह दिन मे किसी समय डबलीराठान	परिवादिया	पति विनोद, सास गीता, ससुर बाबूलाल, गिरधारी अकवामे कुम्हार निवासीयान सादुलशहर, राजकुमार चक ज्वालसिंहवाला	-	मुलजिमानो ने प्रार्थीया को दहेज के लिये तंग परेशान कर मारपीट की वा स्त्रीधन हडप लिया व मुलजिम राजकुमार ने बलात्कार कर फोटो वायरल कर दी	थानाधिकारी
21.	पल्लू	मुकदमा नम्बर 136/18 धारा 306 भादस	09-08-2018 समय 09-10 पी,म	मौजा देवासर	श्री चौथूराम पुत्र धनाराम जाति बाल्मीकी उम्र 60 वर्ष निवासी देवासर पुलिस थाना पल्लू	01. सुनिल पुत्र महावीर 02. विनोद पुत्र मंगलाराम 03. संजय पुत्र मंगलाराम जाति बाल्मीकी निवासीगण देवासर पुलिस थाना पल्लू ।		मुस्तगिस के पुत्र भालाराम ने मुझे बताया की सुनील, विनोद व संजय ने मेरे साथ मारपीट की है जिसे मेरी बेजती हो गई है मै इनसे दुखी होकर जहर पीकर आत्म हत्या कर रहा हू मेरे लडके ने संजय वगैरह से दुखी व आहत होकर जहर पी लिया है जिससे मृत्यु हो गई ।	श्री पृथ्वी सिंह सउनि पल्लु जिला हनुमानगढ

#### गत 24 घंटों में गिरफ्तार मुल्जिमानों का विवरण:-

क्र.स.	नाम थाना	प्रकरण व धारा स्थान	अभियुक्त/गैर सायलान का नाम व पिता का नाम, जाति, उम्र व पता	गिरफ्तारी का दिनांक व समय	बरामदगी	अन्य विवरण	फिंगर प्रिन्ट/फुटप्रिन्ट लिये गये
1	सदर	मु0न0 202 धारा 16/54 आबकारी अधि0	रतनं सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति रायसिख उम्र 37 साल निवासी वार्ड न0 6 बहलोलनगर	दिनांक 9.8.18 समय 6.30 एएम	मुलजिम को 5 लीटर अवैध हकथड़ शराब सहित गिर0 किया गया	-	लिये गये
2	टिब्बी	262/2018 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम	सुखविन्द्रसिंह पुत्र श्री हंसासिंह जाति राय सिख उम्र 26 साल निवासी वार्ड नं0 13 सुरेवाला	9.8.18 वक्त 6.50 पीएम	मुल्जिम सुखविन्द्र सिंह को अवैध 2 लीटर हथकड शराब सहित गिरफतार किया गया ।		लिये गये
3	रावतसर	291/2018 धारा 332, 353, 143 भादस	मुराद अली उर्फ मुराद खां पुत्र सजवार खां मुस्लमान निवासी पोहड़का	9.8.18 समय 5.30 पीएम	-		लिये गये